PITHADIYA (91)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 607] नई दिल्ली, सोमवार, मई 5, 2008/वैशाख 15, 1930
No. 607] NEW DELHI, MONDAY, MAY 5, 2008/VAISHAKA 15, 1930

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2008

का.आ. 1083(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1192 (अ) तारीख 3 दिसम्बर, 2001, और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 465 (अ) तारीख 26 अप्रैल, 2002, द्वारा गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8-बी के कि. मी. 143.00 से कि.मी. 160.00 (गोंडल से रिबड़ा सेक्शन) और कि. मी. 0.00 से कि.मी. 143.00 तथा कि.मी. 160.00 से कि. मी. 217.00 (पोरबंदर - राजकोट - बामनबोर खण्ड) तक के भूखंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा था;

और प्राधिकरण ने, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 बी के कि.मी. 117.00 से कि.मी. 143.00 (जैतपुर - गोंडल खण्ड) में विधमान सड़क के चौड़ा करने के लिए और कि.मी. 175.00 से कि.मी. 185.00 (राजकोट बाईपास) को चौड़ा करके दो लेन से चार लेन का बनाने के लिए तथा कि.मी. 143.00 से कि.मी. 175.00 (गोंडल - राजकोट खण्ड) में विधमान चार लेन के खण्ड का सुधार करने के लिए वेस्ट गुजरात एक्सप्रेसवे लिमिटेड जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय आई एल एण्ड एफ एस फाईनेनसियल सेंटर, प्लाट न. सी-22, जी-ब्लाक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा ईस्ट, मुम्बई - 400051 (जिसे इसके पश्चात " रियायतग्राही" कहा गया है) के साथ करार किया है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग सेक्शन/राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी पुलों/अस्थायी पुलों के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा फीस की वसूली) नियम, 1997 के नियम 3 और राष्ट्रीय राजमार्ग (फीस की दर) नियम, 1997 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना

संख्यांक का.आ. 1725 (अ) तारीख 6 अक्टूबर 2006 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है; राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 बी के उक्त खण्ड के निमार्ण, अनुरक्षण प्रबंध और प्रचालन के अंर्तवलित व्यय, विनिहित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त विवरणी, यातायात मात्रा और प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, यह अधिसूचित करती है कि गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8-बी के कि.मी. 117.000 से कि.मी. 185.00 (जैतपुर - राजकोट और राजकोट बाईपास सेक्शन) के उपयोग के लिए यांत्रिक यानों पर फीस उद्ग्रहीत और संदत्त की जाएगी और उक्त रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से ही अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, इनमें से जो भी पश्चातवर्ती हो उक्त करार की समाप्ति की तारीख तक फीस संग्रहीत करने और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

स्पष्टीकरण :- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए :-

(क) "वास्तविक फीस" से इस अधिसूचना की अनुसूची में दिए गए 117.00 कि.मी. से 185.00 कि.मी. के प्रयोग के लिए प्रभावित वास्तविक फीस अभिप्रेत है

(ख) "वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख" से गुजरात राज्य में कि.मी. 117.00 से कि.मी. 185.00 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8बी पर वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख अभिप्रेत है, जो वह तारीख होगी जिसको प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किए गए करार के उपबन्धों के अनुसार उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त खण्ड के पूरा होने पर स्वतंत्र परामर्शदाता यथास्थिति पूर्णता प्रमाणपत्र अथवा अनंतिम प्रमाणपत्र, जारी करता है ।

(ग) "स्थानीय वाणीज्यिक यातायात" से सवारियों और माल को लानें व ले जाने में लगी टैक्सियों, बसों, ट्रकों, हल्के मोटरीयान सहित वाणिज्यिक अभिप्रेत है जो उक्त खण्ड पर नेमी रूप से चलने के लिए रियायतग्राही के पास रजिस्ट्रीकृत हैं और जिन्हें एक टोल प्लाजा से अधिक प्लाजाओं को पार नहीं करना है;

(घ) "स्थानीय निजी यातायात" से ऐसे निजी वाहन अभिप्रेत और सम्मिलित हैं (कार/यात्री वैन/जीप) जो किसी व्यक्ति द्वारा रियायतग्राही के पास रजिस्ट्रीकृत हैं और जो सामान्यतः ऐसे स्थान रहता है अथवा ऐसे स्थान पर कार्य करता है, जहाँ पहुँचने के लिए उसके यान को सामान्यतः कि.मी. 117.00 से कि.मी. 185.00 (जेतपुर - राजकोट और राजकोट बाईपास खण्ड) राष्ट्रीय राजमार्ग 8बी पर एक भाग को ही उपयोग करना होता है और अतः उस व्यक्ति से अपने कार्य स्थान या निवास अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग 8बी के 117.00 कि.मी. से 185.00 कि.मी. (जेतपुर-राजकोट और राजकोट खण्ड) के उक्त खण्ड के एक भाग पर उसके कार्य स्थान या निवास स्थान को और उसमें सामान्य मात्रा के अनुक्रम में एक प्लाजा से अधिक प्लाजा को पार किए दिनायान का प्रयोग करने की अपेक्षा की जाती है

(ड) "समाप्ति की तारीख " से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको उक्त करार के उपबन्धों के अनुसार प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किया गया उक्त करार समाप्त होता है अथवा समापन नोटिस द्वारा समाप्त किया जाता है ।

अनुसूची

गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8बी, के 117.00 कि.मी. से 185.00 कि.मी. खंड के उपयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली 1 जुलाई, 1997 को लागू आधार फीस की दरें ।

क्रम संख्या	यान का प्रवर्ग	आधार फीस प्रति वाहन प्रति फेरा फीस की दर (रू. में प्रति कि.मी.)
(1.)	(2.)	(3.)
1.	कार, यात्री वैन या जीप	0.40
2.	हल्के वाणिज्यक यान	0.70
3.	ट्रक या बस	1.40
4.	बहुधुरीय यान > 2 धुरी	2.25

टिप्पण:-

1. फीस का संग्रहण दो स्थानों पर किया जाएगा (कि.मी. 120.70 पर तथा कि.मी. 156.80 पर)

बहुधुरी यान जिसमें अर्थ मूविंग उपस्कर और भारी संनिमार्ण मशीनरी यान सम्मिलित होगी ।

2. निम्नलिखित प्रकार के यान अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस से छूट प्राप्त होंगे, अर्थात :-

3.

(i) ऐसे यान -

(अ) जो अति विशिष्ठ चिन्ह के है या शासकीय रूप से निम्नलिखित हैं :-

(क) भारत के राष्ट्रपति;

(ख) भारत के उपराष्ट्रपति;

(ग) राज्य के राज्यपाल या संघ राज्यक्षेत्रों के उपराज्यपाल;

(घ) भारत के राजकीय दौरे पर उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति;

(ङ) "सी डी"/ "सी सी" नंबर प्लेटों का उपयोग करने वाले भारत में रह रहे विदेशी राजनयिक;

(च) राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष या राज्य विधान परिषद या राज्य विधान सभा के अध्यक्ष या संघ अथवा राज्य मंत्री अथवा लोक सभा या राज्य सभा या राज्य में विपक्ष के नेता जिसकी हैसियत कैबिनेट मंत्री का हो, यदि वह यान में हों; या

(छ) संसद सदस्य, सम्पूर्ण देश में, या अपने-अपने राज्यों में विधान सभा के सदस्य या राज्य की विधान परिषद के सदस्य, यदि वह, यथास्थिति, संसद अथवा राज्य के संबंधित विधान मंडल, द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र प्रस्तुत करते हैं;

(आ) शौर्य पुरस्कारों अर्थात् परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र के विजेता, यदि ऐसा पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता ऐसे पुरस्कारों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुरस्कार के प्रमाणन के संबंध में जारी फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करते है ;

(ii) रक्षा यान, जिसके अंतर्गत भारतीय पथकर (सेना और वायुसेना) अधिनियम 1901 और उसके अधीन बनाए गए नियमों (नौसेना को विस्तारित) के उपबन्धों के अनुसरण में छूट के लिए पात्र है ।

(iii) पुलिस यान, अग्नि शमन यान, एम्बुलेंस, अन्त्येष्टि यान, डाक और तार विभाग के यान, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के कर्त्तव्यारूढ़ यान ।

4. फीस की दर, फीस के संदाय से छूट प्राप्त यानों के प्रवर्ग और रियायतग्राही का नाम, पता दूरभाष संख्या, जिसे शिकायत, यदि कोई हो, संबोधित की जानी चाहिए, पथकर चौकी से 500 मी. आगे, पथकर चौकी से 100 मी. आगे और पथकर चौकी पर भी सहजदृश्य रूप से और प्रमुख रूप से संप्रदर्शित की जाएगी ।

5. राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी खण्ड / राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थायी पुलों/अस्थायी पुलों पर संग्रहण की जाने वाली प्राधिकृत फीस की सारणी ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी सहजदृश्य स्थान पर संग्रह केन्द्रों के निकट अंग्रेजी, हिंदी में और उस क्षेत्र जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग अवस्थित है की प्रादेशिक भाषा में स्पष्ट रूप से लिखित या मुद्रित करके संप्रदर्शित की जाएगी ।

6. रियायतग्राही फीस की वसूली के लिए प्रभार के तौर पर एक अधिकारी नामनिर्दिष्ट करेगा तथा रियायतग्राही और ऐसा अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि फीस का संग्रहण करार की गई दरों से ऊंची दर पर नहीं किया जाता है और सड़क उपयोक्ताओं को और उससे अन्य सभी मामलों में अनुचित कठिनाई पहुँचाए बिना फीस का संग्रहण किया जाता है ।

7. रियायतग्राही, स्थानीय निजी यातायात और स्थानीय वाणिज्यिक यातायात से निम्निलिखित दरों से अधिक दर पर कोई फीस संग्रह नहीं करेगा :

विभिष्टिया	यान के विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के लागू फीस का प्रतिशत
स्थानीय निजी यातायात	25 प्रतिशत
स्थानीय वाणिज्यिक यातायात	50 प्रतिशत

परन्तु, तथापि, यदि स्थानीय यातायात के लिए पृथक निःशुल्क सेवा लेन खुली हुई है तो रियायतग्राही ऐसे स्थानीय यातायात से फीस का उद्ग्रहण और संग्रह करेगा यदि वे चार लेन राजमार्ग का उपयोग करते हैं ।

8. दोनों फीस प्लाजाओं से होकर गुजरने वाले यानों से 117.00 कि.मी. - 185.00 कि.मी. तक के समस्त परियोजना खंड के लिए पहले आने वाले प्लाजा पर विनिर्दिष्ट फीस का संदाय करना अपेक्षित है और उन्हें रसीद को दिखा कर दूसरा प्लाजा पार करने की अनुज्ञा दी जाएगी । किसी फीस प्लाजा को पार करके खंड के केवल एक भाग का उपयोग करने वाले यानों से लागू फीस के केवल पचास प्रतिशत का संदाय करने की अपेक्षा की जाएगी ।

9. रियातग्राही, इस अधिसूचना के सार को दो स्थानीय समाचार पत्रों में (जिनमें से एक जन भाषा में होगा) प्रकाशित करेगा जो इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार वाणिज्यिक प्रचालन तारीख का भी, वाणिज्यिक प्रचालन तारीख से कम से कम दस दिन पूर्व कथन करेगा । ऐसे सार को इस अधिसूचना के अनुसार पुनरीक्षित फीस को प्रभावी करने से दस दिन पूर्व प्रति वर्ष भी दोहराया जाएगा ।

[फा. सं. आर डब्ल्यू/एन.एच.-37013/9/2008-पी.आई.सी.]

प्रभाकर, उप सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2008

S.O. 1083(E).—Whereas vide notifications of the Government of India in the then Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 1192(E), dated the 3rd December, 2001 and S.O. 465 (E), dated the 26th April, 2002, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretches from km 143.00 to km 160.00 (Gondal - Ribda section) and from Km 0.00 to 143.00 and 160.00 to Km 217.00 (Porbandar – Rajkot - Bamanbore Section) of the national highway No. 8B respectively in the State of Gujarat to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas the Authority has entered into an agreement with West Gujarat Expressway Limited, having its registered office at The IL&FS Financial Centre, Plot C-22, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai-400051 (hereinafter referred to as the "Concessionaire") for widening of the existing stretch from km 117.00 to km 143.00 (Jetpur - Gondal Section), and from km 175.00 to km 185.00 (Rajkot bypass) from two lane to four lane and making improvement in the existing four lane stretch from km 143.00 to km 175.00 (Gondal - Rajkot Section), of the national highway number 8B (NH 8B);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways (Collection of Fees by any Person for the Use of Section of the National Highways/Permanent Bridge/Temporary Bridge on National Highways), Rules 1997, and rule 3 of the National Highways (Rate of Fee) Rules, 1997, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1725 (E), dated the 6th October, 2006, except as respects things done or omitted to be done before such supersession the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section of the national highway No. 8B, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of agreement entered into between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the stretch from Km 117.00 to Km 185.00 (Jetpur - Rajkot and Rajkot Bypass Section) of national highway No. 8 B in the State of Gujarat at the rate specified in the Schedule below, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the said fees on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later; and till the termination date.

Explanation :_ For the purpose of this notification,-

(a) "actual fees" means the fees actually charged from the road users from km 117.00 to km 185.00 given in the Schedule to this notification;

(b) "date of commercial operation" means the date on which commercial operation of the said section from Km 117.00 to Km 185.00 of the National Highway No 8 B in the State of Gujarat begins which shall be the date on which the Independent Consultant issues the Completion Certificate or the Provisional Certificate, as the case may be, upon completion of the said section of the said national highway in accordance with the provisions of the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire;

(c) "local commercial traffic" means any commercial vehicle including buses, trucks, light motor vehicles or taxis engaged in carrying goods and passengers registered with the Concessionaire as plying routinely on the said section without crossing more than one of the Toll plazas;

(d) "local personal traffic" means and includes a personal vehicle (car/passenger van/jeep) which is registered with the Concessionaire by any person who normally resides or works at a place that can normally be approached only by using a part of the stretch from km 117.00 to km 185.00 (Jetpur – Rajkot and Rajkot Bypass Section) on National Highway number 8 B and such person is, therefore, required to use such vehicle for commuting on a part of the said stretch from Km 117.00 to Km 185.00 (Jetpur – Rajkot and Rajkot Bypass Section) without crossing more than one plaza, in the course of normal travel to and from his place of work or residence.

(e) "termination date" means the date on which the said agreement entered into between the Authority and the Concessionaire expires pursuant to the provisions of the said agreement or is terminated by a termination notice;

SCHEDULE

(Rates of base fees to be recovered from the users of the section from Km. 117.00 to Km. 185.00 of National Highways No. 8B in the State of Gujarat applicable as on the 1st July, 1997,).

Serial number	Category of vehicle	Rate of base fee per vehicle per one way trip per km (in rupees)
(1)	(2)	(3)
1.	Car, passenger van or jeep	0.40
2.	Light Commercial Vehicle (LCV)	0.70
3.	Truck or Bus	1.40
4.	Multi Axle vehicle>2 Axle	2.25

NOTES -

1. The fee shall be collected at two places (at km 120.70 and Km 156.80) within the stretch.

2. Multi Axle Vehicle includes earth moving equipment and heavy construction machinery.

3. The following types of vehicles shall be exempted from the fee specified in the Schedule, namely: -

(i) vehicles, -

(A) Having 'VIP' symbols or officially belonging to;-

(a) the President of India;
(b) the Vice President of India;
(c) the Governor of a State or the Lt. Governor of a Union Territory;
(d) a Foreign Dignitary on State visit to India;
(e) a Foreign diplomat stationed in India using cars with "CD"/ "CC" number plates;

(f) the Chairman of the Rajya Sabha or the Speaker of the Lok Sabha or the Chairman of a State Legislative Council or the Speaker of a State Legislative Assembly or a Minister for the Union or a State, or Leader of Opposition in the Lok Sabha or Rajya Sabha or a State Legislature having the status of Cabinet Minister, if he is sitting in the vehicle; or

(g) a Member of Parliament, in the entire country, or a Member of the Legislative Assembly of a State or a Member of Legislative Council of a State, in the respective State, if he produces his identity card issued by the Parliament or concerned Legislature of the State, as the case may be;

(B) belonging to winner of a Gallantry award such as Param Vir Chakra, Ashok Chakra, Maha Vir Chakra, Kirti Chakra, Vir Chakra and Shaurya Chakra, if such awardee produces his photo identity card duly authenticated by the Competent Authority for such award,

(ii) Defence vehicles, including those eligible for exemption in accordance with the provisions of the Indian Toll (Army and Air Force) Act, 1901 and the rules made thereunder (as extended to Navy);

(iii) Police vehicles, Fire-fighting vehicles, Ambulances, Funeral vans, Vehicles of the Department of Posts and Telegraphs, and Central Government and State Government vehicles, on duty.

4. The Rates of Fees, the Categories of Vehicles exempted from payment of fee and the name, address and telephone number of the Concessionaire to whom complaints, if any, should be addressed, shall be conspicuously and prominently displayed 500 meters ahead of the toll booths, 100 meters ahead of the toll booths and at the toll booths also. The height of the display boards and size of letters being such that it is easy for drivers to read the display boards.

5. A table of fees authorized to be collected on the section shall be put up by such person in a conspicuous place near a fee collection booth legibly written or printed in English, Hindi and the regional language of the area in which the national highway is situated.

6. The Concessionaire shall nominate an official as in charge of fee collection and official so nominated shall be responsible to ensure that fees are collected at not more than the agreed rates and the fee collection is smooth without causing undue hardship to the road users, and for all other matters connected therewith.

7. The Concessionaire, shall not collect any fees from local personal traffic and local commercial traffic in excess of the following discounted rates:

Particular	**% of applicable fees for the specified category of vehicle**
local personal traffic	25%
local commercial traffic	50%

Provided, however, that if a separate service lane is opened for free use by Local Traffic, the Concessionaire shall levy and collect Fee from such Local Traffic if they use the four – lane highway.

8. Vehicles passing through both the fee plazas are required to pay the specified fee for the entire project stretch from Km 117.00 – Km 185.00 at the first plaza encountered and shall be allowed to cross the second plaza by showing the receipt. The vehicles using only a part of the stretch by crossing a fee plaza will be required to pay only 50% of the applicable fee.

9. The Concessionaire shall publish substance of this notification in two local newspapers (one of which shall be in vernacular language), which shall also state the commercial operation date as per the provision of this notification, at least 10 days prior to the commercial operation date. Such substance shall also be repeated every year, 10 days prior to giving effect to revised fees as per this notification.

[F. No. RW/NH-37013/9/2008-PIC]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.